न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 243/**13 (वाद)**

अनवान

1. श्री चुनिया पिता कना कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री नाथुलाल पिता शंकर कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली।
2. बेनकी पुत्री शंकर कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली।
3. भमरी पुत्री शंकर कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली।
4. श्रीमती राधीबाई पत्नी स्व. शंकर कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली **तर्क किया।**
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का नाहरगमरा तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता वादी।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,63(1),(4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट.

: : निर्णय : :

दिनांक : 14.01.2020

1. वाद वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 88–188–63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुण्डाल, पटवार क्षेत्र नाहरमगरा की आराजी नम्बर 909, 3653/909 किता 2 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा उपरोक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में शंकर पिता परथा कुम्हार के नाम से दर्ज हैं। शंकर पिता परथा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 4 हैं। जमाबन्दी की नकल साथ संलग्न हैं।
2. यह कि मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 4 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :

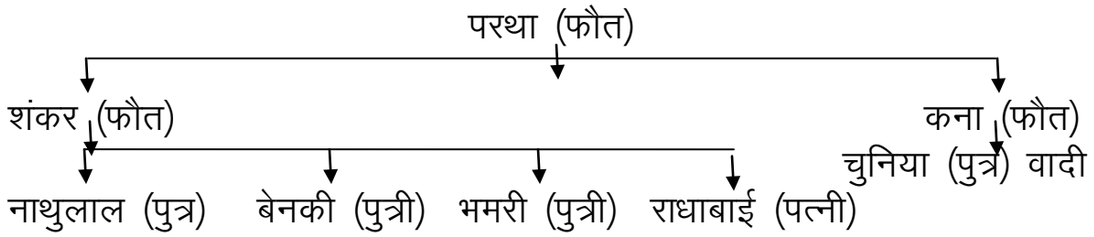

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष परथा जी थे जिनके दो पुत्र शंकर व कना हुए। शंकर व कना दोनों का निधन हो चुका हैं। शंकर के वारिस नाथुलाल, बेनकी, भमरी, राधाबाई है तथा कना का वारिस मैं चुनिया (वादी) हूं।

3. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात पर पूर्व में हमारे पूर्वज परथा जी खेती करते थे तथा परथा जी के लम्बे समय से चले आ रहे कब्जे को देखते हुवे राजस्व अधिकारियों ने स्व. परथा जी के नाम पर उक्त भूमि आंवटित करने हेतु कहा किन्तु स्व. परथा जी ने उक्त भूमि को अपने नाम पर ऐलोट नहीं करवा अपने बडे पुत्र अर्थात प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता/पति शंकर के नाम पर ऐलोट करवा दी तथा मुझ वादी के पिता कना जी उस समय नाबालिग थे जिस वजह से मेरे पिता कना के नाम पर जमीन ऐलोट नहीं हो सकती थी इस कारण अकेले शंकर के नाम पर ही ऐलोट करा दी, लेकिन उक्त कृषि भूमि का स्व. परथा जी ने उनके दोनों पुत्रों के मध्य समान 1/2–1/2 हिस्सेनुसार विभाजन अपने जीवनकाल में ही कर दिया था जिस पर दोनों ही पुत्र अर्थात् मुझ वादी के पिता कना व प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता/पति शंकर खेती करते आ रहे थे तथा वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर मैं वादी काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हूं। मौके पर विभाजन रेखा के रूप में मुझ वादी ने अपने खेतों की पालीया बना रखी है और गत 30 वर्ष से भी अधिक समय से काबिज हो शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है और आज भी वादी अपने 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा हैं जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं।

4. यह कि वाद वर्णित भूमि को स्व. परथा जी ने अपने बडे पुत्र शंकर के नाम पर ऐलोट कराई थी। शंकर का निधन हो चुका है। मौके पर मुझ वादी व पतिवादी सं. 1 से 4 के मध्य बंटवाडा किया हुआ है और सभी अपने अपने हिस्से की भूमियों पर शांतिपूर्वक काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है, परन्तु भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता शंकर के नाम पर खातेदारी में अंकित होने से इनके मन में लोभ लालच की भावना पैदा हो गई है और वह मुझ वादी को मेरे हिस्से भूमि से वंचित करने की नियत से व नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम पर अंकित करा विक्रय करने पर आमादा हो रहे है और मुझ वादी को बेदखल करने की धमकीयां दे रहे हैं।

जबकि प्रतिवादी सं. 1 से 4 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। क्योंकि मुझ वादी का उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है जिसमें प्रतिवादी सं. 1 से 4 या इनके पिता का कभी कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है जिससे मैं वादी उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि को एडवर्स पजेशन के आधार पर अपने नाम खातेदारी हक की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी हूं। जिसके लिए वाद प्रस्तुत हैं।

5. यह कि विवादित भूमि पर मुझ वादी का करीबन 30 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और इस भूमि में मैं वादी अपने 1/2 हिस्से का उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के निर्विवाद रूप से करता आ रहा हुं और मुझ वादी ने अपने 1/2 हिस्सा भूमि को काश्त योग्य बनाने में भी हजारों रूपयों का खर्चा किया और भूमि को आवादान की हैं। वैसे भी 30 वर्ष से उक्त वर्णित कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर मुझ वादी का प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है जिसके आधार पर भी धारा 63(1),(4) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् मैं वादी खातेदार काश्तकार हो गया हुं।
6. यह कि वाद में वर्णित आराजी में मेरे हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि जो मुझ वादी के करीब 30 वर्षों से कब्जे उपयोग उपभोग में चली आ रही है और मुझ वादी ने उक्त 1/2 हिस्सा भूमि पर हजारो रूपयों का खर्चा कर भूमि को काश्त योग्य बनाई है व आवादान की है लेकिन उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता शंकर के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 1 से 4 उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करा मुझ वादी को नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से व मुझ वादी को मेरे कब्जेसुदा भूमि से वंचित करने की नियत से उक्त भूमि को नाजायज लाभ प्राप्त कर विक्रय करने पर आमादा हो रहे है और मुझ वादी को बेदखल करने पर आमादा है जबकि मैं वादी अपने 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहा हुं और मुझ वादी का कब्जा हो शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा हूं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं।
7. यह कि मुझ वादी का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि मैं वादी उक्त वर्णित आराजी के 1/2 हिस्सा भूमि पर लगभग 30 वर्षों से काबिज हो अपने हिस्सा भूमि का

शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के, निर्बाध रूप से, निरन्तर बिना किसी रोकटोक के कर रहा हूं जिसमें प्रतिवादी सं. 1 से 4 का कोई हक व अधिकार, दखलन्दाजी नहीं है लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता शंकर नाम पर दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 1 से 4 मुझ वादी को धमकी दे रहे है कि तुम्हारे हिस्से की जमीन तो हम हमारे नाम पर अंकित करा कर किसी अन्य व्यक्ति को बेच देगे और तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देगे और तुम्हारा कब्जा हटा देगे। जबकि प्रतिवादी सं. 1 से 4 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए मैं वादी प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूॅ कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 वाद पत्र में वर्णित आराजी में मुझ वादी के कब्जे काश्त की 1/2 हिस्सा भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे और मुझ वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, अपने नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलावे। अगर प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो मुझ वादी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन भी मुझ वादी के पक्ष में हैं। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी सं. 1 से 4 को कोई क्षति या नुकसान होने वाली नहीं हैं।

8. यह कि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण दिनांक 20.11.2012 को उत्पनन हुआ जब प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने मौके पर आकर वादी को धमकी दी कि जमीन अपने नाम पर अंकन करवा अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर देगे तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

9. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में मुझ वादी को 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार मेरा नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी में अंकन फरमाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। यह कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त की 1/2 हिस्सा भूमि को

अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे और मुझ वादी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, अपने नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुलावे, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे तथा प्रतिवादी सं. 5, 6, 7 को पाबंद किया जावे कि ताफैसला वाद राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

10. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 5 से 7 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई।
11. प्रकरण में साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्री चुनिया, पी.डब्ल्यू–2 श्री नाथु पिता शंकर, पी.डब्ल्यू–3 श्री नाथु पिता भेरा, पी.डब्ल्यू–4 श्री दुदा पिता चुना, पी.डब्ल्यू–5 श्री लालुराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श 1 पेश किये।
12. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
13. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी द्वारा यह वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी द्वारा मूल पुरूष परथा होना बताया जिसके दो पुत्र शंकर व कना हुए, कना के एक पुत्र चुनिया वादी है व शंकर के एक पुत्र व दो पुत्रिया व पत्नी होकर प्रतिवादी सं. 1 से 4 वारिस हैं। भूमि परथा के कब्जे काश्त में चली आ रही थी, जिसे परथा ने अपने बडे पुत्र शंकर के नाम राजस्व विभाग से आंवटन करवाई हैं। परथा ने उक्त भूमि का बंटवाडा करते हुए आधा हिस्सा शंकर व आधा हिस्सा कना के रखा, जिस पर आधे भाग पर कना के बाद वादी व आधे भाग पर शंकर के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 से 4 का कब्जा चला आ रहा हैं। वादी द्वारा करीब 30 वर्षों से भी अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन किया हैं।

14. प्रकरण में तहसीलदार मावली से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2017/1749 दिनांक 24.11.17 से मौके की वर्तमान रिपोर्ट पेश की, जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा शंकर व उसकी पत्नी राधीबाई की मृत्यु होना बताया है तथा आराजी नम्बर 909 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा पर पूर्व दिशा में वादी व पश्चिम दिशा में प्रतिवादी सं. 1 का काश्त करना बताया है एवं उक्त आराजी में मेड बनी होने का कथन किया हैं तथा दोनों ही पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद नहीं होने का कथन अपनी रिपोर्ट में किया गया हैं। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में पी.डब्ल्यू–1 श्री चुनिया, पी.डब्ल्यू–2 श्री नाथु पिता शंकर, पी. डब्ल्यू–3 श्री नाथु पिता भेरा, पी.डब्ल्यू–4 श्री दुदा पिता चुना, पी.डब्ल्यू–5 श्री लालुराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सभी ने उक्त भूमि पर आधे भाग पर वादी व आधे भाग पर प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे होने का कथन किया हैं। प्रतिवादी सं. 1 नाथु पिता शंकर कुम्हार स्वयं ने वादी के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–2 पेश कर वादी के आधे भाग पर कब्जा होने की ताईद कर वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। चूंकि प्रकरण में भूमि वर्तमान में शंकरलाल के नाम पर दर्ज हैं जबकि मौके पर आधे भाग पर वादी व आधे भाग पर प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा होना जाहिर आया हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भी गवाह के रूप में वादी के वाद की ताईद की हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर 30 वर्षों से अधिक समय से व परथा जी द्वारा विभाजन कर कब्जा सिपूर्द करने के आधार पर वादी का आधा हिस्सा वादी के नाम दर्ज करना न्यायहित में उचित हैं, परन्तु पक्षकारान की सहमति होने पर भी राजकोष को हानि ना हो इसलिए वादी को स्टाम्प शूल्क अदा करने के पश्चात् भूमि नाम पर किया जाना आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा कुण्डाल

पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 909, 3653/909 किता 2 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि में वादी को 1/2 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा खातेदार शंकर के विधिक वारिसों के नाम दर्ज किया जावें। नियमानुसार स्टाम्प शूल्क वादी से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के पश्चात् डिक्री की पालना की जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री चुनिया पिता कना कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली।

.....**वादी**

बनाम्

1. श्री नाथुलाल पिता शंकर कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली।
2. बेनकी पुत्री शंकर कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली।
3. भमरी पुत्री शंकर कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली।
4. श्रीमती राधीबाई पत्नी स्व. शंकर कुम्हार निवासी नामरी तह. मावली **तर्क किया।**
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का नाहरगमरा तह. मावली।

.....**प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(1),(4) राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 243/13 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा कुण्डाल पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 909, 3653/909 किता 2 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा भूमि में वादी को 1/2 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा खातेदार शंकर के विधिक वारिसों के नाम दर्ज किया जावें। नियमानुसार स्टाम्प शूल्क वादी से वसूल कर राजकोष में जमा कराने के पश्चात् डिक्री की पालना की जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.01.2020 को जारी की गई।

(अक्षय गोदारा IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.07 12:42:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: